IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ: सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य एवं संबंधित साहित्य का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. मनोज कुमार वत्स[1] एवं भारतेन्दु वत्स[2]

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजाश्रीकृष्ण दत्त पी.जी. कॉलेज, जौनपुर

शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, राजाश्रीकृष्ण दत्त पी.जी. कॉलेज, जौनपुर

सारांश: सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कल्याणकारी राज्य की आधारभूत अवधारणाओं में से एक हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा, उसके सैद्धांतिक आधार तथा संबंधित साहित्य का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय तथा अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित शोधों और रिपोर्टों की समीक्षा के माध्यम से पेंशन योजनाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। साहित्य से स्पष्ट होता है कि पेंशन योजनाएँ लाभार्थियों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान तथा जीवन-स्तर में सकारात्मक योगदान देती हैं, किंतु प्रशासनिक जटिलताएँ, सीमित कवरेज तथा अपर्याप्त पेंशन राशि जैसी चुनौतियाँ इनके प्रभाव को सीमित करती हैं। अध्ययन भविष्य के शोध एवं नीति-निर्माण के लिए एक सुदृढ़ वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है।

मुख्यशब्द: सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य, पेंशन योजनाएँ, साहित्य समीक्षा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

प्रस्तावना: सामाजिक सुरक्षा आधुनिक कल्याणकारी राज्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय सुरक्षा प्रदान करना है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में किसी भी अध्ययन की विश्वसनीयता उसके सैद्धांतिक आधार एवं पूर्ववर्ती शोधों की समीक्षा पर निर्भर करती है। सैद्धांतिक रूपरेखा न केवल अध्ययन की दिशा निर्धारित करती है, बल्कि अनुसंधान की अवधारणाओं, विश्लेषण और निष्कर्षों को भी वैचारिक आधार प्रदान करती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ वृद्धजन, विधवाओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार लाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन योजनाओं की प्रभावशीलता को समझने के लिए सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत, सामाजिक न्याय तथा मानव विकास जैसे सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार, पूर्व प्रकाशित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध यह संकेत देते हैं कि पेंशन योजनाएँ आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और मनोवैज्ञानिक कल्याण को भी प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर, अपर्याप्त पेंशन राशि, प्रशासनिक विलंब, सीमित कवरेज तथा जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ इन योजनाओं के प्रभाव को सीमित करती हैं। इस अध्ययन में उपलब्ध साहित्य का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिससे वर्तमान शोध की आवश्यकता, प्रासंगिकता तथा अनुसंधान-अंतर (Research Gap) को स्पष्ट किया जा सके।

उद्देश्य: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित उपलब्ध सैद्धांतिक साहित्य एवं पूर्ववर्ती अध्ययनों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना।

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक (Qualitative) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है तथा इसमें द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य, पेंशन योजनाओं तथा सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित प्रकाशित शोध-पत्रों, पुस्तकों, सरकारी प्रतिवेदनों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्टों, नीति दस्तावेजों तथा अन्य प्रामाणिक अकादमिक स्रोतों का व्यवस्थित अध्ययन किया गया। साहित्य के चयन में नवीनता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता तथा अनुसंधान की उपयोगिता को प्रमुख आधार बनाया गया। समीक्षित साहित्य का विश्लेषण विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) पद्धति के माध्यम से किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न अध्ययनों के उद्देश्य, अनुसंधान पद्धति, प्रमुख निष्कर्ष, सीमाएँ तथा नीतिगत सुझावों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय तथा क्षमता दृष्टिकोण जैसे प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के संदर्भ में साहित्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया। इस प्रक्रिया से वर्तमान शोध के लिए उपलब्ध ज्ञान, अनुसंधान-अंतर (Research Gap) तथा भविष्य के अध्ययन की संभावित दिशाओं की पहचान की गई। अध्ययन की यह पद्धति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की वैचारिक एवं व्यावहारिक समझ को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अनुसंधान को एक वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आधार प्रदान करती है।

अध्ययन की सैद्धांतिक रूपरेखा तथा संबंधित साहित्य की समीक्षा का समावेशन किया गया है। किसी भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान में सैद्धांतिक आधार केवल औपचारिक आवश्यकता नहीं होता, बल्कि वह अध्ययन की दिशा, दृष्टिकोण और विश्लेषण की संरचना को स्पष्ट करता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ राज्य की कल्याणकारी भूमिका का महत्वपूर्ण अंग रही हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम सामाजिक संरक्षण प्रदान करना है। इस अध्याय में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा, उसके ऐतिहासिक विकास, तथा कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। साथ ही वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति से संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, जिससे अध्ययन को वैचारिक आधार प्राप्त हो सके। पूर्ववर्ती शोधों और अध्ययनों की समीक्षा के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि पेंशन योजनाओं के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों के संबंध में अब तक क्या निष्कर्ष सामने आए हैं। यह अध्याय वर्तमान शोध की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए अध्ययन की आवश्यकता और उसके योगदान को रेखांकित करता है।

हार्टले और एबल्स (2025) [1] का यह शोध वैश्विक स्तर पर जनसांख्यिकीय संक्रमण और पेंशन प्रणालियों के अंतर्संबंधों का एक सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेखकों ने ASPIRE प्रशासनिक आंकडा और सरलीकृत बीमांकिक (actuarial) गणना पद्धतियों के माध्यम से यह रेखांकित किया है कि बढ़ती उम्र की लहर न केवल राजकोषीय स्थिरता को चुनौती दे रही है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के मौजूदा ढांचे को भी अपर्याप्त बना रही है। शोध का मुख्य तर्क यह है कि अंशदायी योजनाएं श्रम बाजार की अनौपचारिकता के कारण विकासशील देशों में सीमित प्रभावी हैं, जबकि गैर-अंशदायी 'सामाजिक पेंशन' कवरेज अंतराल को भरने में सहायक तो हैं, किंतु उन पर राजकोषीय बोझ निरंतर बढ़ रहा है। यह अध्ययन 'पैरामीट्रिक असंतुलन' की आलोचनात्मक पहचान करता है, जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिज्ञाबद्ध लाभ का स्तर संचित अंशदान से लगभग 50% तक अधिक है, जो भविष्य की वित्तीय स्थिरता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। यद्यपि रिपोर्ट लैंगिक न्याय और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक योजनाओं के महत्व पर बल देती है, इसकी अकादमिक प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि यह नीति-निर्माताओं को अन्य देशों के सुधारों की 'कार्बन कॉपी' करने के बजाय स्थानीय आर्थिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप समाधान खोजने की ठोस चेतावनी देती है।

रानी और वर्मा (2025) [2] का यह शोध प्रबंध सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर और उनके समग्र कल्याण के बीच के जटिल अंतर्संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेखक द्वय ने बुलंदशहर शहरी क्षेत्र के 100 पेंशनभोगियों पर आधारित अपनी शोध पद्धति में साक्षात्कार और संरचित प्रश्नावली का संतुलित प्रयोग किया है, जो निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। यह अध्ययन इस महत्वपूर्ण तर्क को पुष्ट करता है कि पेंशन केवल वित्तीय सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक गरिमा और मनोवैज्ञानिक स्थिरता

का एक अनिवार्य मानक है। सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से शोध यह सिद्ध करता है कि पेंशन की पर्याप्तता का शारीरिक (r=0.48) और विशेषकर मनोवैज्ञानिक (r=0.52) कल्याण के साथ गहरा सकारात्मक संबंध है। हालांकि, शोध की एक सीमा इसका केवल शहरी क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों तक सीमित होना है, फिर भी यह प्रशासनिक विलंब (30%) और जटिल दस्तावेज़ीकरण (27%) जैसी व्यवस्थागत चुनौतियों को सफलतापूर्वक उजागर करता है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो, यह अध्ययन सेवानिवृत्ति के बाद की भावनात्मक रिक्तता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के द्वंद्व को सूक्ष्मता से पकड़ता है। निष्कर्षतः, यह कार्य वृद्धिशील जनसंख्या हेतु नीतिगत सुधारों और कल्याणकारी ढाँचों के पुनर्निर्धारण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) [3] की 'विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26' भारत के कल्याणकारी राज्य की बदलती संरचना का एक गहन विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन रेखांकित करता है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2021 के 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% तक पहुँच गया है (PIB Research Unit, 2025)। एक वरिष्ठ शैक्षणिक दृष्टिकोण से, यह प्रगति केवल सांख्यिकीय वृद्धि नहीं, बल्कि 'आयुष्मान भारत' और 'पीएमजीकेएवाई' जैसी योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में आए संरचनात्मक सुधारों का प्रतिफल है। रिपोर्ट में प्रयुक्त मापदंड भारत की वास्तविक स्थिति को पूर्णतः प्रतिबिंबित नहीं करते, क्योंकि वे खाद्य सुरक्षा और आवास जैसे महत्वपूर्ण 'वस्तु-रूप' (in-kind) लाभों को पर्याप्त रूप से समाहित करने में विफल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित 'आंकडा पूलिंग एक्सरसाइज' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हस्तक्षेप है, जो आधार-आधारित आंकडा एकीकरण के माध्यम से भविष्य के शोधों में अधिक सटीकता सुनिश्चित करेगी। निष्कर्षतः, भारत की यह उपलब्धि न केवल घरेलू स्तर पर गरीबी उन्मूलन में सहायक रही है, बल्कि इसने वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवरेज को भी 5% तक बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक अनुकरणीय प्रतिमान स्थापित किया है।

आईएलओ की 'वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26' [4] भारत में सामाजिक सुरक्षा के बदलते परिदृश्य का एक सूक्ष्म विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सुरक्षा कवरेज 2021 के 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% तक पहुंचना एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। अकादमिक और नीतिगत दृष्टिकोण से, आयुष्मान भारत और ई-श्रम पोर्टल जैसी पहलों ने न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि 24.8 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त कर लोक-कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आईएलओ का प्रारंभिक आकलन खाद्य और आवास जैसे वस्तुगत लाभों को पर्याप्त महत्व नहीं देता, जिससे वास्तविक कवरेज (लगभग 65%) और रिपोर्ट के आंकड़ों में अंतर दिखता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित 'आंकडा पूलिंग अभ्यास' एक क्रांतिकारी कदम है, जो डिजिटल एकीकरण के माध्यम से शोध की सटीकता को बढ़ाएगा। अंततः, यह दस्तावेज़ स्पष्ट करता है कि भारत का यह मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक सुदृढ़ता के मध्य संतुलन का एक वैश्विक सन्दर्भ बिंदु बन सकता है।

मोहन ध्रुव (2024) [5] का अध्ययन बस्तर के जनजातीय परिवेश में वृद्धों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की जटिलताओं का एक गंभीर अकादमिक विमर्श प्रस्तुत करता है। लेखक ने मिश्रित शोध पद्धति अपनाते हुए 153 लाभार्थियों के अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर यह तर्क दिया है कि वृद्धावस्था पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि संकटकाल (जैसे कोविड-19) में जीवन-निर्वाह का प्रमुख स्तंभ रही है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से, यह शोध लाभार्थियों के आत्म-सम्मान और क्रय शक्ति में वृद्धि को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। हालांकि, अध्ययन की सीमाओं पर गौर करें तो यह स्पष्ट होता है कि उच्च निरक्षरता दर (45.75%) और बैंकिंग बुनियादी ढांचे का अभाव योजना के लाभों के इष्टतम वितरण में संरचनात्मक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। वरिष्ठ प्राध्यापकीय दृष्टिकोण से, यह शोध केवल सांख्यिकीय निष्कर्ष नहीं देता, बल्कि नीतिगत क्रियान्वयन में व्याप्त सूचनात्मक अंतराल की ओर भी ध्यानाकर्षण करता है। संक्षेप में, यह अध्ययन जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा की जमीनी हकीकत और प्रशासनिक सुधारों की अपरिहार्यता को प्रमाणित करने वाला एक अत्यंत प्रासंगिक दस्तावेज है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का कुमार और शोभना (2024) [6] द्वारा किया गया मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण अकादमिक विमर्श प्रस्तुत करता है। यह शोध गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियों के समन्वय से प्रधानमंत्री जन धन योजना और अटल पेंशन योजना जैसे कार्यक्रमों की गहराई से पड़ताल करता है। लेखकों का मुख्य तर्क है कि यद्यपि वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सुलभता में सराहनीय सुधार हुआ है, किंतु प्रशासनिक अकुशलता, भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी जैसे संरचनात्मक अवरोध अब भी पूर्ण सफलता में बाधक बने हुए हैं। शोध की विशिष्टता इसकी 'समग्र दृष्टि' में निहित है, जो पृथक योजनाओं के बजाय उनके अंतर्संबंधों और सामूहिक प्रभाव को समझने का प्रयास करती है। हालांकि, लेखकों ने बजटीय विश्लेषण के माध्यम से निधि आवंटन में स्थिरता और समायोजन के रुझानों को स्पष्ट किया है, लेकिन आंकडा प्रबंधन और तकनीकी सीमाओं जैसी चुनौतियों पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी शोध को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाती है। यह अध्ययन न केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति-निर्माताओं के लिए साक्ष्य-आधारित अनुशंसाएं प्रदान करता है, बल्कि वैश्विक कल्याणकारी विमर्श में भी प्रासंगिक है। अंततः, यह शोध एक अधिक समावेशी, पारदर्शी और टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा ढांचे की अपरिहार्यता को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित उपलब्ध साहित्य एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा आधुनिक कल्याणकारी राज्य की एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। यह केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, मानव गरिमा तथा सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम भी है। विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत, विशेषकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तथा अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण, यह स्पष्ट करते हैं कि पेंशन योजनाएँ लाभार्थियों की आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ उनकी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ाती हैं। समीक्षित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभार्थियों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि पेंशन राशि की अपर्याप्तता, प्रशासनिक विलंब, सीमित कवरेज, डिजिटल प्रक्रियाओं की जटिलता, जागरूकता का अभाव तथा वितरण प्रणाली की कमियाँ योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय एवं असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों के संदर्भ में ये चुनौतियाँ अधिक गंभीर दिखाई देती हैं। साहित्य समीक्षा यह भी इंगित करती है कि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता केवल योजनाओं की संख्या बढ़ाने पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त वित्तीय प्रावधान, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था तथा लाभार्थी-केंद्रित नीति निर्माण पर आधारित होगी। साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों, क्षेत्रों एवं राज्यों में इन योजनाओं के वास्तविक प्रभावों का अनुभवजन्य अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार उपलब्ध साहित्य वर्तमान शोध के लिए एक सुदृढ़ वैचारिक आधार प्रदान करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ सामाजिक कल्याण, समावेशी विकास और मानवीय गरिमा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सन्दर्भ सूची

[1] Reyes Hartley, G., & Abels, M. (2025). Riding the demographic wave: Pensions and retirement income in an aging world (Discussion Paper No. 2512). World Bank. https://www.worldbank.org

[2] Rani, R., & Verma, S. (2025). Socioeconomic Status, Pension Issues, and Well-Being of Pensioners: A Study in Bulandshahr Urban Area. International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), 7(5), 1-6. https://www.ijfmr.com

[3] PIB Research Unit. (2025, March 26). India's Social Security Coverage Doubles. Ministry of Labour & Employment, Government of India. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114866

[4] International Labour Organization. (2024). World social protection report 2024–26: Universal social protection for climate action and a just transition. International Labour Office. https://www.social-protection.org/gimi/Media.action?id=20154

[5] Dhruw, M. (2024). National Old Age Pension Scheme dwara vriddhjano ke arthik, samajik, sashaktikaran ka adhyayan (Bastar jile ke Bakawand block ke vishesh sandarbh mein) [राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना द्वारा वृद्धजनों के आर्थिक, सामाजिक, सशक्तिकरण का अध्ययन (बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक के विशेष संदर्भ में)].